



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276255
CG-DL-E-16092026-276255

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4838]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/भाद्र 19, 1948

No. 4838]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/BHADRA 19, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2026

का.आ. 5028(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5999 (अ) दिनांक 24.12.2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में NH48 के कि.मी. 110.400 से कि.मी.140.210 (सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिप्टी कलेक्टर वडोदरा - ग्रामीण, अधिकारी, वडोदरा) तक के भू-खण्ड के अतिरिक्त संरचना / पुलों का निर्माण (चौड़ीकरण / छह लेन बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 12.04.2026 को “दिव्य भास्कर” और “द टाइम्स ऑफ इंडिया” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के वडोदरा जिले के वडोदरा तालुका के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 का कि.मी. 110.400 से कि.मी. 140.210 तक के लिए संरचना रहित अथवा संरचना सहित अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: वडोदरा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: वडोदरा					
गांव का नाम: कोटाली					
1	69	निजी	कृषि	0.0097	सोनल राजू शाह 69
2	70/A	निजी	कृषि	0.0047	चौहान सुरेशभाई रावजीभाई, चौहान जशोदाबेन रावजीभाई, चौहान बुधाभाई छोटाभाई, चौहान छत्रसिंह छोटाभाई, चौहान रेवाबेन छोटाभाई, चौहान लक्ष्मीबेन प्रतापभाई, चौहान सोनाबेन, वह रायसिंगभाई मोतीभाई नी विधवा, चौहान हरीशभाई रायसिंगभाई, चौहान भाई लालभाई रायसिंगभाई, चौहान मंजुलाभान रायसिंगभाई, चौहान घनीबेन मोतीभाई, चौहान कांताबेन महेन्द्रभाई, चौहान दिलीपभाई शनाभाई, सुमित्राबेन मंगलभाई मकवाना, पुनमभाई मंगलभाई मकवाना, नर्मदाबेन मंगलभाई मकवाना, जयेशभाई मंगलभाई मकवाना 70/A
3	77/A	निजी	कृषि	0.0047	पटेल गोरधनभाई जीवाभाई, पटेल कांतिभाई जीवाभाई, पटेल प्रवीणाबेन कांतिभाई, पटेल सेजलकुमार कांतिभाई, पटेल कैलाशबेन गोरधनभाई, पटेल हार्दिककुमार गोरधनभाई, पटेल कोमिलकुमार गोरधनभाई 77/A

गांव का नाम: पोर					
4	1	सरकारी	शमशान	0.8142	श्री सरकार पोर ग्राम पंचायत 1/1
5	1205	निजी	गैर कृषि	0.0074	पटेल तरलाबेन शैलेशभाई 1205
6	1224	सरकारी	गामतल	0.0656	श्री सरकार 1224
7	389/A	निजी	कृषि	0.0095	पटेल भाईलालभाई डाह्याभाई 389/A
8	390	निजी	कृषि	0.0198	पटेल निरंजनभाई मणिभाई, पटेल बिपिनभाई मणिभाई 390
9	391/A	निजी	गैर कृषि	0.0631	अल्पेश दलपतभाई पटेल 391/A
10	392/A	निजी	कृषि	0.039	पटेल डाह्याभाई फुलाभाई, पटेल नटवरभाई फुलाभाई, पटेल बिपिनभाई रावजीभाई, पटेल घनश्यामभाई रावजीभाई, पटेल मालतीबेन रावजीभाई 392/A
11	River	सरकारी	नदी	0.1638	श्री सरकार River
Total				1.2015	

[फा. सं. NHA/PIU-Surat/15-Bridges/LA/2024/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2026

S.O. 5028(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highway, S.O. 5999 (E) dated 24.12.2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of additional structure / bridges (widening / six lanning etc), maintenance, management and operation of NH48 in the stretch of land from Km. 110.400 to Km. 140.210 (Dputy Collector Vadodara Rural, Officer, Vadodara) in the district of Vadodara in the state of GUJARAT.

And whereas the substance of the said has been published in "Divya Bhaskar and "The Times of India" both dated 12.04.2026; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH48 in the stretch of land from Km. 110.400 to Km. 140.210 in the Taluka of Vadodara, District of Vadodara in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: Vadodra		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Vadodra					
Village: Kotali					
1	69	Private	Agriculture	0.0097	Sonal Raju Shah 69
2	70/A	Private	Agriculture	0.0047	Chauhan Sureshbhai Ravjibhai, Chauhan Yashodaben Ravjibhai, Chauhan Budhbhai Chhotabhai, Chauhan Chhatrasinh Chhotabhai, Chauhan Revaben Chhotabhai, Chauhan Laxmiben Pratabhai, Chauhan Sonaben W/O Raysingbhai Motibhai , Chauhan Harishbhai Raysingbhai, Chauhan Bhailalbhai Raysingbhai, Chauhan Manjulaben Raysingbhai, Chauhan Ghaniben Motibhai, Chauhan Kantaben Mahendrabhai, Chauhan Dilipbhai Shanabhai, Sumitraben Mangalbhai Makwana, Punambhai Mangalbhai Makwana, Narmadaben Mangalbhai Makwana, Jayeshbhai Mangalbhai Makwana 70/A

3	77/A	Private	Agriculture	0.0047	Patel Gordhanbhai Jivabhai, Patel Kantibhai Jivabhai, Patel Pravinaben Kantibhai, Patel Sejalkumar Kantibhai, Patel Kailashben Gordhanbhai, Patel Hardikkumar Gordhanbhai, Patel Komilkumar Gordhanbhai 77/A
Village: Por					
4	1	Government	Shamshan	0.8142	Shree Sarkar Por Gram Panchayat 1/1
5	1205	Private	Non Agriculture	0.0074	Patel Tarlaben Shaileshbhai 1205
6	1224	Government	Gamtal	0.0656	Shree Sarakar 1224
7	389/A	Private	Agriculture	0.0095	Patel Bhailalbhai Dahyabhai 389/A
8	390	Private	Agriculture	0.0198	Patel Niranjanbhai Manibhai, Patel Bipinbhai Manibhai 390
9	391/A	Private	Non Agriculture	0.0631	Alpesh Dalpatbhai Patel 391/A
10	392/A	Private	Agriculture	0.039	Patel Dahyabhai Phulabhai, Patel Natwarbhai Phulabhai, Patel Bipinbhai Ravjibhai, Patel Ghanshyambhai Ravjibhai, Patel Maltiben Ravjibhai 392/A
11	River	Government	River	0.1638	Shree Sarakar River
Total				1.2015	

[F. No. NHAI/PIU-Surat/15-Bridges/LA/2024/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director